कार्यालय, कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

–: निविदा सूचना :–

फोन न. 07786-242085-182 फैक्स न -242085 E-mail IDdwcdkondagaon@gmail.com

कमांक/3393/मबावि/भण्डार/2016–17 कोण्डागांव, दिनांक– 25/02/2017

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन वर्ष 2016–17 में कोण्डागांव जिले के अधीन एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए **प्री–स्कूल किट** की सामग्री क्रय किए जाने हेतु इच्छुक/पात्र फर्मों से दरें आमंत्रित की जाती है ।

इच्छुक प्रदायकर्ता को दिनांक **27.03.2017** को **अपरान्ह 02:00 बजे** तक निविदा सील बन्द लिफाफे में कलेक्टर (महिला एवं बाल विकास विभाग) के कार्यालय में रखी सील बन्द पेटी में डालना होगा । निविदा **दिनांक 27.03.2017 सायं 04:00 बजे** क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी ।

प्री–स्कूल किट प्रदाय संबंधी नियम, शर्ते, सामग्री सूची मय स्पेसिफिकेशन के एवम् धरोहर राशि इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने के लिए **आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के निविदा फार्म हेतु 1000/–रू0 विभागीय मद "0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–2– विविध आय" में जमा करके** चालान की प्रति प्रस्तुत कर कार्यालय से कार्यालयीन समय में **दिनांक 27.03.2017** को **दोपहर 12:00 बजे** तक निविदा (टेन्डर) फार्म प्राप्त किया जा सकता है । निविदा प्रपत्र **kondagaon .gov.in** से भी डाउनलोड कर सकते हैं । निविदा जमा करते समय चालान की प्रति जमा करना अनिवार्य है ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

25/2/17

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–कोण्डागांव छ0ग0

कार्यालय कलेक्टर,(महिला एवं बाल विकास विभाग) जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

फोन न. 07786-242085-182 फैक्स न.-242085 E-mail IDdwcdkondagaon@gmail.com

क्रमांक/3394/मबावि/भण्डार/2016–17 कोण्डागांव, दिनांक– 25/02/2017

–: निविदा :–

कोण्डागांव–जिला के अन्तर्गत बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्न सूची के मान से **प्री–स्कूल किट** प्रदाय हेतु दरे आमंत्रित है । इसके लिए इच्छुक प्रदायकर्ता सील बन्द निविदा तीन पृथक लिफाफों में सेम्पल सहित **दिनांक–27.03.2017** को **अपरान्ह 02:00 बजे** तक कार्यालय जिलाध्यक्ष, कोण्डागांव–जिला (महिला एवं बाल विकास विभाग) में प्रस्तुत कर सकते है ।

निविदा की शर्तें :–

1. अमानती राशि (अरनेस्टमनी) राष्ट्रीयकृत बैंक का **बैंकर्सचेक/ डिमांड ड्राफ्ट 100000/–रू0** (राशि एक लाख रूपये मात्र) (जो न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो) जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला–कोण्डागांव को देय होगा ।
2. सभी प्रकार के टैक्स आदि का वहन निविदा दाता द्वारा किया जावेगा।
3. निविदादाता द्वारा पिछले 2 वर्षो में से किसी एक वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
4. निविदा में प्रस्तुत दरें समस्त टैक्स सहित एवं एफ.ओ.आर. कोण्डागांव जिलें के सेंट्रल गोडाउन कोण्डागांव हेतु होगी।
5. दरें स्वीकृत होने पर निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति न होने पर अमानत राशि जप्त की जावेगी।
6. निविदा प्रस्तुत करते समय सामग्री समस्त का नमूना देना अनिवार्य है । नमूने पर व्यापारी /फर्म के पूरे हस्ताक्षर व फर्म की सील (रबर स्टेम्प) अंकित होना अनिवार्य है।
7. क्रय की जाने वाली सामग्री की संख्या/मात्रा निर्धारित करने का अधिकार कलेक्टर को होगा ।
8. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात 50/– रूपये नानजुडीशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र भरना अनिवार्य होगा ।
9. निविदा सामग्री संबंधी किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर जिलाध्यक्ष कोण्डागांव का निर्णय अंतिम होगा ।
10. निविदादाता का फर्म का सेल्स टेक्स/टीन नम्बर **अनिवार्य है** । जिसका दस्तावेज निविदा फार्म के साथ जमा करना होगा ।
11. निविदा **दिनांक 27.03.2017** को कलेक्टर, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में **04:00 बजे** क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी ।
12. विवाद स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कोण्डागांव, जिला–कोण्डागांव होगा ।
13. प्री स्कूल किट हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 2100 रूपये एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 850 रू0 प्रति केन्द्र निर्धारित है । निर्धारित व्यय सीमा से अधिक की दर मान्य नहीं होगी ।
14. आगंनबाड़ी केन्द्रों हेतु परिशिष्ट ''अ'' एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये **परिशिष्ट** ''ब'' के अनुसार सामग्री प्रदाय की जानी है । सूची से पृथक सामग्री का क्रय नहीं किया जावेगा ।
15. यदि किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' में दर्शित सभी सामाग्रियां फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल में नहीं पायी जाती हैं तो उस फर्म की निविदा अमान्य कर दी जावेगी । इस संदर्भ में किसी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगीं ।

16. निविदा प्रस्तुत करते समय तीन लिफाफे "अ" "ब" एवं "स" में प्राप्त की जावेगी। प्रथम लिफाफे **"अ"** में अमानती राशि संबंधी ड्राफ्ट, **"ब"** में आवश्यक दस्तावेज तथा **"स"** लिफाफे में दर प्राप्त की जायेगी । सर्व प्रथम लिफाफा "अ" खोला जायेगा जिसमें अमानत राशि होगी यह शर्ते पूरी करने पर आवश्यक दस्तावेज संबंधी लिफाफा "ब" खोला जावेगा यह शर्ते पूरी करने पर दर संबंधी लिफाफा "स" खोला जावेगा । **दरें संपूर्ण प्री स्कूल किट हेतु भरी जावे । पृथक–पृथक सामग्री की दरें मान्य नही होगी।**
17. रूपये 1000/– शीर्ष 0235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अन्य प्राप्तियां मद में जमा कर निविदा फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
18. किसी भी निविदा को मान्य करने अथवा अमान्य करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा । जिन फर्मो की निविदा अस्वीकार की जावेगी उन्हें पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी ।
19. सामग्री कार्यालय तक पहुचाने के दौरान सामग्री को यदि किसी भी प्रकार की क्षति पहुचती है तो प्रदायकर्ता को 3 दिवस के अंदर सामग्री स्पेशीफिकेशन अनुसार बदलकर कार्यालय में देनी होगी ।
20. सफल निविदाकार को कार्य आदेश जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर प्री स्कूल किट की सामग्री बॉक्स में सेट बनाकर देनी होगी । निर्धारित समयावधि/पैकिंग में सामग्री न देने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।
21. निर्धारित समयावधि में सामग्री प्राप्त न होने की स्थिति में आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी व प्रस्तुत आमानती राशि राजसात कर ली जावेगी ।
22. क्रय की जाने वाली सामग्री टाक्सिक एवं धारदार नहीं होनी चाहिए तथा सामग्री बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित हो । गुणवत्ता परीक्षण संबंधी नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
23. **जिला स्तर पर सामग्री प्राप्ति के बाद सामग्रियों का भौतिक सत्यापन कराने के पश्चात् नियमानुसार टैक्स काटकर भुगतान किया जावेगा ।**
24. आवश्यकता पड़ने पर क्रय समिति द्वारा संबंधित फर्मों से Negotiation किया जा सकेगा ।
25. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आमंत्रित है । अतः सफल निविदाकारों की अमानत राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् ही जारी की जावेगी ।
26. सफल निविदाकार को निर्धारित समय–सीमा में प्री स्कूल किट की सामग्री प्रदाय करनी होगी । यदि निर्धारित समयावधि सामग्री पूर्ति नहीं की जाती है तो 2% की राशि कटौति की जावेगी ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

25/2/17

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–कोण्डागांव छ0ग0

पृ0क्रमांक/3395/मबावि/भंडार/2016–17
कोण्डागांव, दिनांक– 25/02/2017

प्रतिलिपि :–

1. मेसर्स.....
   .....
   .....
2. नोटिस बोर्ड हेतु ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला–कोण्डागांव छ0ग0

लिफाफा (अ) में रखे जाने वाला प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट का क्रय

1. फर्म का नाम : .....

   .....

2. फर्म का पूरा पता : .....

   .....

   दूरभाष नम्बर .....

   मोबाइल नम्बर .....

3. फर्म की ओर से निविदाकर्ता: .....

   का नाम एवं पद .....

4. आमानत राशि के रूप में जमा: .....

   बैंक ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक .....

फर्म का सील एवं
प्रो0 के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

लिफाफा (ब) में रखे जाने वाला प्रपत्र

आंगनबाड़ी केन्द्र एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट का क्रय

1. फर्म का नाम :.....
   .....
2. फर्म का पूरा पता :.....
   (ईकाई छ0ग0 में स्थापित है या नहीं) .....
   दूरभाष नम्बर .....
   मोबाइल नम्बर .....
3. फर्म की ओर से निविदाकर्ता का :.....
   नाम एवं पद .....
4. फर्म का जिला उद्योग केन्द्र से :.....
   रजिस्ट्रेशन क्रमांक/दिनांक :.....
5. फर्म का सेल्स टेक्स नंबर/ :.....
   क्लीयरिंग सर्टीफिकेट प्रमाण–पत्र .....
6. विगत 2 वर्षों में किसी 1 वर्ष का: .....
   आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज .....
7. अमानत राशि के रूप में जमा बैंक: .....
   ड्राफ्ट क्रमांक/दिनांक .....
8. यदि प्री स्कूल किट प्रदाय का :.....
   अनुभव हो तो प्रमाण पत्र .....

फर्म का सील एवं
प्रो0 के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

लिफाफा (स) दर संबंधी – (1)

आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट का क्रय

क्रमांक	आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट हेतु प्रस्तावित दरें (प्रति सेट)	
	अंको में	शब्दों में

संलग्न परिशिष्ट **"अ"** अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु निर्धारित व्यय सीमा 2100 रू. है । निर्धारित सीमा से अधिक की दर अमान्य होगी ।

फर्म का सील एवं
प्रो0 के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कय किये जाने वाली

प्री स्कूल एजुकेशन किट की सामग्रियॉ

परिशिष्ट ''अ''

1. वर्ष 2016–17 में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किये जाने हेतु प्री स्कूल एजुकेशन किट हेतु निर्धारित सामग्रियों की सूची :–

मुक्त खेल (फ्री प्ले) हेतु आवश्यक सामग्री		
1	बिल्डिंग बीकर	01 नग
2	गुड़िया	02 नग
3	जानवरों के मुखौटे	10 नग
4	किचन सेट–	01 नग
5	डॉक्टर सेट	2 नग
6	फजल–03 सेट (जानवर, फल, आकार प्रत्येक का 01 सेट)–वुडन बोर्ड	1 नग
7	हैण्ड पपेट–	02 नग
शारीरिक विकास/बाहरी खेल से संबंधित सामग्री		
8	बैट–बाल	02 सेट
9	सीटी	01 नग
10	रबर रिंग	01 नग
11	फ्लाईंग डिस्क	01 पग
12	लट्टू	04 नग
बौद्धिक विकास से संबंधित सामग्री		
13	सिलेंडर बॉक्स (वुडन)	01 नग
14	शेप बॉक्स	01 नग
सृजनात्मक विकास से संबंधित सामग्री		
15	कागज रंगीन	01 पैकेट
16	क्रेयान	05 पैकेट
शाला पूर्व तैयार से संबंधित सामग्री/अन्य सामग्री		
17	स्लेट	10 नग
18	फ्लैनल बोर्ड	01 नग
19	काउंटिंग फ्रेम	01 नग

(समस्त सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु (2100 रूपये) की दर के तहत् ही मान्य किया जावेगा । निर्धारित सीमा से अधिक की दर अमान्य होगी)

फर्म का सील एवं
प्रो0 के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

लिफाफा (स) दर संबंधी – (2)

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट का क्रय

क्रमांक	मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु प्री–स्कूल किट हेतु प्रस्तावित दरें (प्रति सेट)	
	अंको में	शब्दों में

संलग्न परिशिष्ट **"ब"** अनुसार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु निर्धारित व्यय सीमा 850 रू. है । निर्धारित सीमा से अधिक की दर अमान्य होगी ।

फर्म का सील एवं
प्रो0 के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....

मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए कय किये जाने वाली

प्री स्कूल एजुकेशन किट की सामग्रियॉ

परिशिष्ट ''ब''

1. वर्ष 2016–17 में प्रत्येक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रदाय किये जाने हेतु प्री स्कूल एजुकेशन किट हेतु निर्धारित सामग्रियों की सूची :–

मुक्त खेल (फ्री प्ले) हेतु आवश्यक सामग्री		
1	बिल्डिंग बीकर	01 नग
2	किचन सेट–	01 नग
3	पजल–01 सेट (जानवर, फल, आकार प्रत्येक का 01 सेट)–वुडन बोर्ड	1 नग
शारीरिक विकास/बाहरी खेल से संबंधित सामग्री		
4	बैट–बाल	02 सेट
5	सीटी	01 नग
6	रबर रिंग	01 नग
सृजनात्मक विकास से संबंधित सामग्री		
7	कागज रंगीन	01 पैकेट
8	केयान	05 पैकेट
शाला पूर्व तैयार से संबंधित सामग्री/अन्य सामग्री		
9	स्लेट	05 नग
10	फ्लैनल बोर्ड	01 नग
11	काउंटिंग फ्रेम	01 नग

2. (समस्त सामग्री आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु (850 रूपये) की दर के तहत् ही मान्य किया जावेगा । निर्धारित सीमा से अधिक की दर अमान्य होगी)

फर्म का सील एवं
प्रो0 के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....